न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर।

प्रकरण क्रमांक /2011 रिव्यू
Review - 09 - PBR/2011

औतार सिंह पुत्र बद्दू सिंह

निवासी गिरवाई तहसील व जिला ग्वालियर

------ आवेदक

बनाम

भगवान सिंह पुत्र गर सिंह (मृत)

(1)- रामेश्वर)

(2)- अतर सिंह) समस्त पुत्रगण स्व0

(3)- किशन सिंह) भगवान सिंह

(4)- मेहबान)

(5)- महेन्द्र सिंह)

(6)- मु0 कमला बेवा नारायण सिंह

(7)- नरेश) नाबालिग पुत्रगण नारायण सिंह

12 (अ) श्रीमती गोमती बाई पत्नी स्व. श्री रामस्वरूप उम्र– 60 वर्ष व्यवसाय– गृहणी

(ब) जबर सिंह उर्फ खच्चू सिंह उम्र– 42 वर्ष व्यवसाय– कृषि

(स) राजकुमार उम्र– 38 वर्ष व्यवसाय– कृषि

(द) गोवर्धन उम्र– 35 वर्ष व्यवसाय– कृषि

(य) हरगोविन्द उम्र– 30 वर्ष व्यवसाय– कृषि

(र) सतीश उम्र– 27 वर्ष व्यवसाय– कृषि

(ल) रामबती उम्र– 33 वर्ष व्यवसाय– गृहकार्य समस्त पुत्रगण एवं पुत्री स्व. श्री रामस्वरूप लोधी निवासीगण– ग्राम गिरवाई परगना व ज़िला ग्वालियर म.प्र.

Add New cases in this court

रिव्यू 09-PBR/2011 ग्वालियर

§15§- इन्द्रवीर §
पुत्रगण भजन सिंह
§16§- राजवीर §
§17§- बलवीर §
§18§- सरस्वती
§19§- प्रेमा § पुत्रीगण भजन सिंह
§20§- विद्यादेवी §
§21§- श्रीमती अंगूरीबाई पत्नी केदार सिंह
समस्त निवासीगण ग्राम मानपुरा, तहसील
व जिला भिण्ड §म0प्र0§

-------- अनावेदकगण

रिव्यू आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, विरुद्ध आदेश दिनांक 8-11-2010 को प्रकरण क्रमांक 1669/पीबीआर/06 निगरानी में माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल द्वारा पारित किया जो अपर आयुक्त के प्रकरण क्रमांक 17/05-06 निगरानी में दिनांक 14-8-06 को पारित किया जो अपर कलेक्टर ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 36/02-03 निगरानी दिनांक 17-10-05 के विरुद्ध थी जो अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 634/98-99 के विरुद्ध थी जो तहसीलदार ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 19/81-82 के विरुद्ध की गयी थी।

---------0---------

श्रीमान् जी,

प्रार्थी/ आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन § रिव्यू§ आवेदनपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :-

§1§- यह कि, मृतक भगवान सिंह के पिता नरसिंह द्वारा संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदनपत्र प्र

--3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु — 09—पीबीआर / 2011 औतारसिंह / भगवानसिंह जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6—6—2017	उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 1669—पीबीआर / 2006 में पारित आदेश दिनांक 8—11—2010 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :— 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है। आवेदक की ओर से मुख्यतः इस आधार पर यह पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा आदेश में यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण निकाला गया है कि आवेदक मृत भूमिस्वामी द्रोपदी बाई का वारिस नहीं है, और वसीयतनामा को विधिवत प्रमाणित किया गया है, जबकि आवेदक बटटूसिंह का पुत्र होकर स्वर्गीय द्रोपदी का नाती है और वसीयतनामा साक्ष्य की धारा 68 के अनुरूप सिद्ध नहीं किया गया है । इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश में विधिवत वाद प्रश्न निर्धारित कर, उनके संबंध में विस्तार से विवेचना कर निष्कर्ष निकाले गये	

है, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस प्रकार यह पुनर्विलोकन आधारहीन होनें से निरस्त किये जाने योग्य है

2 उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–11–2010 स्थिर रखा जाकर पुनर्विलोकन निरस्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष